

चयन एवं भर्ती  
पुलिस मुख्यालय,  
मध्यप्रदेश पुलिस, भोपाल  
बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डोरी जिलों के लिए  
विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती 2022 हेतु नियम पुस्तिका

आवेदन जमा करने की प्रारम्भ तिथि	06/12/2022
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	28/12/2022
परीक्षा शुल्क	न:शुल्क

नोट- आवेदन पत्र संबंधित दस्तावेजों को अधीक्षक कार्यालय में जमा किये जायेंगे।

टिप्पणी:-

1. आवेदन पत्र को पंजीकृत संदर्भित तिथि तक अधीक्षक कार्यालय में जमा किये जायेंगे।
2. आवेदक जिस जिले के लिये आवेदन कर रहा है, उसे उस जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
3. आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

*Kash* →

बालाघाट जिला विशेष सहयोगी दस्ता (Special Support Group) की भर्ती  
जनवरी-2022

1. सामान्य

नक्सल प्रभावित जिला-बालाघाट (बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर, जिला-मण्डला, बिछिया, मवई) एवं जिला-डिण्डोरी (बजाग, समनापुर, करंजिया) के आधवासी (domicile) जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत हैं, की भर्ती के लक्ष्यक समीक्षकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

जिला	विकासखण्ड	सहयोगियों की संख्या
बालाघाट	बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर	80
मण्डला	बिछिया, मवई	30
डिण्डोरी	बजाग, समनापुर, करंजिया	40
कुल योग:	10	150

2. परिभाषायें:-

- "आरक्षण" से अभिप्रेत सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।
- "अभिप्रेत" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूल जाति या जनजाति के भाग या इसका यूथ जिसे अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दी गई है।
- "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के मूल जाति या यूथ, जिसे अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
- "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के चयन के लिये अनुसूचना क्रमांक एफ के तहत अनुच्छेद 263 के अधीन 20 दिसम्बर 1984 को या विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये निर्धारित।
- "नक्सल प्रभावित जिले" से अभिप्रेत है नक्सल प्रभावित जिले (बालाघाट, मंडला एवं डिण्डोरी) निवासियों के लिये नक्सल प्रभावित जिलों में निवास अधीक्षक की अध्यक्षता में भर्ती समान गठित समिति द्वारा चयनित जाकर जनपद स्तर पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन करेगा।

Ravi

### 3. विभाग नोंदणी का विवरण :-

श्रेणियाँ	UR	OBC	SC	ST	EWS	TOTAL
महिला	23	23	11	17	10	87
भूतपूर्व सैनिक (10%)	4	4		3	-	13
महिला (33%)	14	1	8	10	5	50
योग:-	41	40	24	30	15	150

आरक्षण मध्यप्रदेश राजपत्र सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी आरक्षण क्रमांक एफ 7-53-2019-आ0प्र0-एक भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार है।

### 4. आरक्षण

- श्रेणियाँ : (i) भर्तियों के लिए आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 का पालन करते हुए विज्ञापित पदों की आरक्षण अनुसार पदवार तालिका बनाई जाएगी। आरक्षण को वर्टिकल (लंबवत) श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा जैसे - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातों और अन्य पिछड़े वर्गों (श्रीलक्ष्मी), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) - प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी को भागे हॉरीजोन्टल (क्षैतिज) श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा जैसे - महिला, भूतपूर्व सैनिक।
- (ii) आरक्षित श्रेणी यथा (OBC/ST/SC/EWS), अभ्यर्थी जिनके अंक आरक्षित वर्टिकल (UR) श्रेणी के उच्चतम अंक (विज्ञापित पदों के तीन गुना अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची के अंतर्गत) से कम हैं, लेकिन वे उच्च अंक नहीं हैं, परंतु उन्होंने उच्च, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता में उच्च अंक प्राप्त किया है तो उनकी गणना आरक्षित श्रेणी में होगी।
- (iii) हॉरीजोन्टल आरक्षित श्रेणी:- प्रत्येक वर्टिकल श्रेणी में भांति हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियाँ हैं, जैसे - महिलाएं, या भूतपूर्व सैनिक। इस तालिका में उच्चतम अंक अभ्यर्थियों का चयन हेतु विचार किया जा सकता है जिनमें उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को कि उनकी अपनी अपनी वर्टिकल श्रेणी में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के तीन गुना उच्चतम अंक (विज्ञापित पदों के तीन गुना अभ्यर्थियों की प्रारंभिक सूची के अंतर्गत) से कम अंक ही हो सकते हैं। हॉरीजोन्टल आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा।
- (iv) आरक्षण विभाग द्वारा जारी क्रमांक/2076/7463/2015/बी-4/दो भोपाल दिनांक 19.06.2015 द्वारा महिलाओं के लिये दिये गये 33 प्रतिशत 'हॉरीजोन्टल एवं क्रॉसमेंट वाईज' आरक्षण निर्धारित किया गया है, जिसे नियम 4-3 की तालिकाओं में दर्शाया गया है।

*Cont.*

- v. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ए.प्र.एक/दिनांक 21 1999 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों को खोलने का निर्देश देना है।
- vi. उक्त रिक्तियों को खोलने के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों को खोलने का निर्देश देना है।
- vii. उक्त रिक्तियों को खोलने के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों को खोलने का निर्देश देना है।
- viii. उक्त रिक्तियों को खोलने के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों को खोलने का निर्देश देना है।
- ix. उक्त रिक्तियों को खोलने के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों को खोलने का निर्देश देना है।
- x. उक्त रिक्तियों को खोलने के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों को खोलने का निर्देश देना है।

5. पदस्थापना :-

- i. विशेष सहायकी दस्ता ( special support Unit ) का संवर्ग जिला नगर होगा।
- ii. रिक्तियों की स्थिति को देखते हुए चयन हेतु पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

6. अहम :-

- i. न्यूनतम शिक्षण योग्यता श्रेणी के अधीन विद्यमान विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ii. उक्त रिक्तियों को खोलने के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 भूतपूर्व सैनिकों के लिये रिक्तियों को खोलने का निर्देश देना है।

*(Handwritten signature)*

iv. जारी न तिथि

v. 15.06 19/12 भोपाल दिनांक 19.12.19  
स्वतंत्र प्रतियोगिता से सीधी भर्ती से  
अधिकतम छूट निम्नानुसार होंगी:-

क्र.	श्रेणी के पदों के लिए	न्यूनतम/अधिकतम आयुसीमा (वर्ष)
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	18 से 33
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	18 से 38
3	आरक्षित जाति (पुरुष/महिला आवेदक) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पंचड्डा वर्ग	18 से 33
4	शासकीय/निगम मण्डल/स्वशारीक कर्मचारी	

- vi. मिलने वाली छूटें-
  - क. उच्चतम आयु सीमा
  - ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पंचड्डा वर्ग के उम्मीदवारों के पत्नी के उच्चतम आयु सीमा में
  - ग. विज्ञापन जारी होने की तिथि से जनवरी के अंत तक पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु सीमा

सहयोगी राशि- 25 लाख

**3. भर्ती प्रक्रिया**

- i. उपरोक्त जिलों के नक्सल प्रभावित तबला निवासियों के आवेदकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित सूची समितियों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। शैक्षणिक अंकों के आधार पर short-listing के लिये होगा तथा उसके
- ii. उम्मीदवारों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन किया जाएगा।

*Handwritten signature*

- iii. शारीरिक क्षमता के 80 अंक तथा साक्षात्कार के 20 अंक निर्धारित होंगे। शारीरिक परीक्षा के साक्षात्कार के आधार पर जिलावार आरक्षणवार चयन सूची तैयार कर चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा।

### 9. शारीरिक दक्षता परीक्षा :-

शारीरिक क्षमता परीक्षा संबंधित प्रश्नों का समाधान किया जायेगा। भर्ती में शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 1600 मीटर दौड़ में 16 मिनट में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शारीरिक प्रवीणता के लिये कुल 100 अंकों का प्रमाणानुसार प्रदाय किया जायेगा:-

क्र	समय(मिनट : सैकेण्ड में )	अंक
1	5:00 या उससे कम	100
	5:00 से अधिक 5:03 तक	
	5:03 से अधिक 5:06 तक	98
	5:06 से अधिक 5:09 तक	97
	5:09 से अधिक 5:12 तक	96
6	5:12 से अधिक 5:15 तक	95
	5:15 से अधिक 5:18 तक	94
	5:18 से अधिक 5:21 तक	93
	5:21 से अधिक 5:24 तक	
10	5:24 से अधिक 5:27 तक	
11	5:27 से अधिक 5:30 तक	
12	5:30 से अधिक 5:33 तक	
13	5:33 से अधिक 5:36 तक	
14	5:36 से अधिक 5:39 तक	
15	5:39 से अधिक 5:42 तक	
16	5:42 से अधिक 5:45 तक	
17	5:45 से अधिक 5:48 तक	
18	5:48 से अधिक 5:51 तक	
19	5:51 से अधिक 5:54 तक	
20	5:54 से अधिक 5:57 तक	
1	5:57 से अधिक 6:00 तक	
	6:00 से अधिक 6:03 तक	
	6:03 से अधिक 6:06 तक	
	6:06 से अधिक 6:09 तक	
	6:09 से अधिक 6:12 तक	
	6:12 से अधिक 6:15 तक	
	6:15 से अधिक 6:18 तक	
	6:18 से अधिक 6:21 तक	73

*Handwritten signature*

	6:21 से अधिक 6:24 तक	
	6:24 से अधिक 6:27 तक	
1	6:27 से अधिक 6:30 तक	70
	6:30 से अधिक 6:33 तक	69
	6:33 से अधिक 6:36 तक	
	6:36 से अधिक 6:39 तक	
	6:39 से अधिक 6:42 तक	
	6:42 से अधिक 6:45 तक	
	6:45 से अधिक 6:48 तक	
	6:48 से अधिक 6:51 तक	
	6:51 से अधिक 6:54 तक	62
	6:54 से अधिक 6:57 तक	61
1	6:57 से अधिक 7:00 तक	60
	7:00 से अधिक 7:03 तक	59
	7:03 से अधिक 7:06 तक	58
	7:06 से अधिक 7:09 तक	57
	7:09 से अधिक 7:12 तक	56
	7:12 से अधिक 7:15 तक	
	7:15 से अधिक 7:18 तक	
	7:18 से अधिक 7:21 तक	
	7:21 से अधिक 7:24 तक	
50	7:24 से अधिक 7:27 तक	
51	7:27 से अधिक 7:30 तक	
52	7:30 से अधिक 7:33 तक	
53	7:33 से अधिक 7:36 तक	
54	7:36 से अधिक 7:39 तक	
55	7:39 से अधिक 7:42 तक	
56	7:42 से अधिक 7:45 तक	
57	7:45 से अधिक 7:48 तक	
58	7:48 से अधिक 7:51 तक	
59	7:51 से अधिक 7:54 तक	
60	7:54 से अधिक 7:57 तक	
1	7:57 से अधिक 8:00 तक	
	8:00 से अधिक 8:03 तक	
	8:03 से अधिक 8:06 तक	
	8:06 से अधिक 8:09 तक	
62	8:09 से अधिक 8:12 तक	

*Handwritten signature*

	8:12 से अधिक 8:15 तक	25
	8:15 से अधिक 8:18 तक	24
	8:18 से अधिक 8:21 तक	23
	8:21 से अधिक 8:24 तक	22
70	8:24 से अधिक 8:27 तक	21
71	8:27 से अधिक 8:30 तक	20
	8:30 से अधिक 8:33 तक	19
	8:33 से अधिक 8:36 तक	18
	8:36 से अधिक 8:39 तक	17
	8:39 से अधिक 8:42 तक	16
	8:42 से अधिक 8:45 तक	15
	8:45 से अधिक 8:48 तक	14
	8:48 से अधिक 8:51 तक	13
	8:51 से अधिक 8:54 तक	12
	8:54 से अधिक 8:57 तक	11
	8:57 से अधिक 9:00 तक	10
	9:00 से अधिक 9:03 तक	9
	9:03 से अधिक 9:06 तक	8
	9:06 से अधिक 9:09 तक	7
	9:09 से अधिक 9:12 तक	6
	9:12 से अधिक 9:15 तक	5
	9:15 से अधिक 9:18 तक	4
88	9:18 से अधिक 9:21 तक	3
89	9:21 से अधिक 9:24 तक	2
90	9:24 से अधिक 9:27 तक	1
91	9:27 से अधिक 9:30 तक	0
92	9:30 से अधिक 9:33 तक	0
93	9:33 से अधिक 9:36 तक	0
94	9:36 से अधिक 9:39 तक	0
95	9:39 से अधिक 9:42 तक	0
96	9:42 से अधिक 9:45 तक	0
97	9:45 से अधिक 9:48 तक	0
98	9:48 से अधिक 9:51 तक	0
99	9:51 से अधिक 9:54 तक	0
100	9:54 से अधिक 9:57 तक	0
101	9:57 से अधिक 10:00 तक	00/पात्र
102	10:00 से अधिक	अपात्र

*Salil*



- ii. ...
- iii. अभ्यर्थियों के शारीरिक शक्ति परीक्षणों के परिणाम की सूची संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजेगी।

10. ...

- i. ... सूची सहायक पुलिस ... द्वारा ... जायेगी।
- ... (तीन जिलों) ... गुप्तवार्ता द्वारा ... वर्ष का सेवा ... अधिक ... पुलिस ... जिला पुलिस अधीक्षक ... दायता ... वर्ष के लिए हो सकेगा। अनुरोध ... किया जा सकेगा।
- ... वर्ष कार्यरत रहे सहयोगी को ... के रूप में विशेष ...

11. ...

- ... पुक्ति पूर्व अभ्यर्थियों के ... जिले में ...
- ... होगी :
- i. ... को शारीरिक ...
- ii. ... में ...
- ... में कम ... 6/9
- ... नृण का माना जाएगा। वह प्रमुख ... को चिकित्सा ... पूर्णतः योग्य (मेडिकली ...)

... सहयोगियों का अ ... बालामाट, प्रशिक्षण मालाओं ... माह का ... कोर्स आयोजित किया जावेगा

(Sah)

21, 322, 324, 326, 327, ...  
 कार्यों में तैनात किया जायेगा:-  
 आवत क्षेत्रों में

दस्तावेज  
 व. ... संकलन

14. अनु...

- iii) ... अवकाश प्र...  
 नियुक्ति दिनांक एवं ...  
 काश अगले अनु...  
 गले सहयोगियों को ...  
 1861 की धारा-18 के ...  
 योगियों पर पुलिस ...  
 (रद्दीपन) अधिनियम, 192...  
 पुलिस विनियम ...  
 होगा।
- viii) समस्त अनुजा...  
 आवश्यक ... निर्धारित गानक ...  
 अंतर्ग ...
- ix) ...  
 निदेशक ... करा किया जाएगा।

(... शाक्यवार)  
 पुलिस उप महानिरीक्षक (चान/भर्ती)  
 पुलिस मुख्यालय, भोपाल